न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आशीष जयपाल (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 113/2022

CIS Reg. No. – 3504/2015

CNR No. : RJJH220006832022

राजस्थान राज्य बनाम ईश्वर सिंह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2015, पुलिस थाना सूरजगढ, झुंझुनूं

अपराध अन्तर्गत धाराः 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी/ शिकायतकर्ता	लीलाधर पुत्र गोविंद प्रसाद उम्र 45 वर्ष निवासी ढाकामंडी थाना बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	ईश्वर सिंह पुत्र मंगतुराम उम्र 40 साल रधुवीरपुरा जोदा का बास थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रौनक हलवान

B

अपराध की दिनांक	07-05-2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07-05-2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	29-05-2015
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	29-05-2015
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	06-10-2018
बहस अंतिम सुनी गई	16-07-2026
निर्णय दिनांक	20-07-2026
दण्डादेश की दिनांक	----

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	ईश्वर सिंह	-	-	279, 304 ए		-	

				भा.दं.सं.			

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहों की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू. 1	डॉ ओमप्रकाश	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 2	सतवीर	गवाह बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 3	डॉ परमेश्वरलाल	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 4	सुरेश	गवाह बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 5	हीरासिंह	बयान धारा 161 सीआरपीसी नक्शा मौका का गवाह
पी.डब्ल्यू. 6	राजेंद्र प्रसाद	गवाह बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 7	कृष्ण कुमार	गवाह बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 8	चयनसुख	मैकेनिकल मुआयना का पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.9	ओमकिशन	नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल
पी.डब्ल्यू.10	नेतराम	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.11	विनोद	गवाह बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू.12	गोपीराम बाजिया	पुलिस गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	फर्द पंचायतनामा
03	प्रदर्श पी 03	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी 04	फर्द पंचायतनाम

05	प्रदर्श पी 05	रसीद लाश सुपुर्दगी
06	प्रदर्श पी 06	नक्शा मौका घटनास्थल
07	प्रदर्श पी 07	रसीद लाश सुपुर्दगी
08	प्रदर्श पी 08	फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल
09	प्रदर्श पी 09	फर्द जब्ती मार्शल गाडी
10	प्रदर्श पी 10	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट/फर्द जब्ती कागजात
11	प्रदर्श पी 11	लिखित रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी 12	एफआईआर रिपोर्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

– निर्णय –

दिनांकः 20 जुलाई, 2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07–05–2015 को परिवादी श्री लीलाधर पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद जाति जागिड उम्र 45 साल निवासी ढाका माण्डी थाना बुहाना ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 07–05–2015 को सुबह करीबन 10 एएम पर उसका भतिजा सचिन कुमार अपनी मोटरसाईकिल न० आरजे 18 एसपी 4139 लेकर ढाका माण्डी कासनी अपनी बहिन को लाने जा रहा था। ख्यालीयो की ढाणी के पास मे श्री बजरंग लाल निवासी काकोडा भी हाथ देने पर उसे भी रोक कर अपने साथ बैठा लिया और दोनो मोटर साईकिल से सूरजगढ़ की तरफ जा रहे थे। लोटिया मोड के पास मे आगे से व सामने से एक अज्ञात वाहन के चालक ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके भतीजे की मोटर साईकिल सामने से जोर की टक्कर मारी जिससे उसका भतीजा सचिन कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति जागिड की मौके पर ही मौत

हो गई। बजरंग लाल जाट की ईलाज के जिये ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गई। उसके भतीजे सचिन व बजरंग लाल की की मृत्यु अज्ञात वाहन के चालक ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल के सामने से टक्कर मारी जिससे आई चोटो से दोनो की मृत्यु हो गई। वे उस अज्ञात वाहन गाडी चालक का पता चलने पर बाद मे नाम पता बता देगे।.....आदि...आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरजगढ में एफ आई आर नंबर 108/2015 अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अभियुक्त ईश्वर सिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानते हुये दिनांक 29-05-2015 को उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं का प्रसंज्ञान लिया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को दिनांक 29-05-2015 को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्विक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये उपर वर्णित गवाहान के बयान व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने का कथन करते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है जबकि इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया है कि मौके के गवाह द्वारा ऐसी कोई स्पष्ट कथनी नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो

कि अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गई व अभियुक्त की पहचान किसी भी गवाह ने नहीं की है। इसलिये अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावें।

6. पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न है –

'' आया सुसंगत समय, दिवस व स्थान पर वाहन मार्शल गाडी नंबर आरजे 21 यूए 0959 का चालक रहते हुए उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर आहतगण के मोटरसाईकिल न० आरजे 18 एसपी 4139 के टक्कर मारी जिस टक्कर के परिणामस्वरूप आई चोटों के कारण परिवादी के भतीजे सचिन व बजरंग लाल की मृत्यु कारित हुई ?

यदि हां तो अभियुक्त को किस दंड से दंडित किया जावें ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड. 1 डॉ० ओमप्रकाश** ने सशपथ कथन किया है कि यह दिनांक 07.05.2015 को सीएचसी सूरजगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मृतक सचिन के शव का पोस्टमोर्टम किया था जिसकी पहचान सुरेश कुमार व लीलाधर निवासी ढाकामण्डी ने की थी. मृतक सचिन के निम्नलिखित चोटे थी सिर की हड्डिया अनुपस्थित थी, फ्रंटल दोनो पेराइटल ऑक्सीपटल बोन का कुछ भाग अनुपस्थित था, मेगजलरी जाइगोमेक्टीक हड्डी बिल्कुल कुचली हुयी थी, दांत टूटे थे, जबडा फैक्चर टुटा हुआ व पुरा ब्रेन मैटर अनुपस्थित था, , बांयी साइड की 2 से लेकर 8 तक पसल्लियां टूटी हुयी थी, दांयी साइड की 4 से 8 तक पसल्लियां टुटी हुयी थी. व रगढकनुमा चोट बांयी साइड में 10 गुणा 5 सेमी व दांयी साइड में 8 गुणा 6 सेमी। बायी जांघ की हड्डी नीचली एक तिहाई भाग में टुटी हुयी थी और बांयी जांघ पर पीछे की तरफ नीचले एक तिहाई भाग पर व घाव जिसकी साइज 4 गुणा 2 सेमी गहराई हड्डी तक। चोट नम्बर

4. दांये कंधे की हड्डी टूटी हुयी है व रगडकनुमा चोट जिसकी लम्बाई 4 गुणा 2 सेमी। उसकी राय में सभी चोटे एंटीमोर्टम प्रकृति की थी. मृत्यु की अवधि 1–6 घंटे पूर्व की थी, मौत का कारण न्योरोजेनिक व हैमरेजिक शोक था आन्तिरिक व ब्राह्य रक्त स्त्राव से, पोस्टमोर्टम पश्चात महक का शरीर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी है जिस पर ए से बी चोट का विवरण व सी से डी उसकी राय व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया है कि शरीर पर चोटें भारी वाहन के टकराने से आने की संभावना है। उसके पास मृतक मृत अवस्था में लाया गया था।

8. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड. 2 सतवीर** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2015 में सुबह 10 बजे यह सूरजगढ जा रहा था तो एक मार्शल गाडी नं. 0969 थे ने तेज गति व लापरवाही से लाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। यह दुर्घटना मार्शल गाडी चालक ईश्वर सिंह की गलती से हुई थी। एक्सीडेंट में बजरंग के पैर में चोट आई और सचिन की मौके पर मौत हो गई। वह खेत में काम कर रहा था। उसने यह दुर्घटना देखी थी लेकिन वह चालक को नहीं देख पाया। उसके चाचा बजरंग की लाश का कई पंचनामा प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया है कि उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसके कुछ नहीं पता।

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉ० परमेश्वरलाल सैनी ने** सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 07.05.2015 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी चिडावा में तैनात था। उस दिन पुलिस थाना सूरजगढ के प्रतिवेदन पर मृतक बजरंगलाल के शव का पोस्टमार्टम किया था। उसकी राय में मृतक की मृत्यु का कारण सिर में आयी चोट से मस्तिष्क आघात का होना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी

उसकी चोटों का विवरण व ई से एफ उसकी राय अंकित है। तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया है कि प्रदर्श पी 3 में दर्ज चोटे कठोर धरात पर मोटरसाइकिल के स्लीप हो जाने भी चोटें आ सकती है। परीक्षण में किसी भी टायरो के निशान उसे नजर नहीं आये अज खुद कहा कि निशानात होते तो उसकी रिपोर्ट में लिखता।

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 सुरेश** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.05.2015 को सुबह 10.00 बजे की बात है। उसका बेटा सचिन मोटरसाईकिल नं आरजे 18 4139 से ढाकामंडी से कासनी की तरफ जा रहा था। रास्ते में काकोडा के बजरंगलाल को बिठाया और उसकी मोटरसाईकिल को रुकवाकर बजरंगलाल भी बैठ गया। लोटिया के मोड के पास में काकोडा रोही के पास में पहुंचा तो एक गाड़ी जिसके नं आरजे 21 यूए 0959 तेज गति और लापरवाही से आई और उसने टककर मार दी। इसमें सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। ईश्वर सिंह उस व्यक्ति का नाम है. जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। सचिन कुमार की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 है. जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रसीद लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि एक्सीडेंट ड्र्इावर की गलती से हुआ उसने मुझे पंचनामे पर हस्ताक्षर करवाए थे।

11. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 हीरासिंह** ने संशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.05.2015 को सुबह 10. 00 बजे की बात है। उस दिन वह लोटिया रोड़ पर स्थित भोलाराम के खेत में जा रहा था। उसके आगे से एक मार्सल गाड़ी सामने से आई और एक लड़के की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति थे। जिनमें से एक व्यक्ति का नाम बजरंगलाल था। वह उनसे 100 मीटर की दूरी पर था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस गाड़ी पर रायका गुड़िया लिखा हुआ था

और वो वहीं से कच्चा रास्ता लेकर काकोडा की तरफ दोड़ गया। उस पर मोटरसाईकिल को सचिन कुमार चला रहा था, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और जो दूसरा व्यक्ति बजरंग कड़े वे अस्पताल लेकर गए। लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 मौके पर उसके सामने बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि एक्सीडेंट उसने सामने हुआ था। तथा पंचानामे पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उस पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। उसने ड्राइवर को नहीं देखा।

12. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 राजेन्द्र प्रसाद** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2015 को सुबह 10.00–10.15 बजे उसके पिता श्री बजरंगलाल सूरजगढ़ आ रहे थे तो रास्ते में काकोड़ा बस स्टेण्ड पर खडे थे तो सचिन कुमार की मोटरसाईकिल के मोटरसाईकिल नं 3941 को हाथ देकर रूकवाया और उसमें बैठ गए। लोटिया मोड़ के पास भोलाराम के खेत के पास जब वे पहुंचे तो एक मार्सल गाड़ी नं आरजे 21 0959 तेज गति और लापरवाही से आई और सचिन कुमार को सामने से टककर मार दी। और सचिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिता को एंबूलेंस में चिडावा अस्पताल लेकर गए थे। एक्सीडेंट करने के बाद मार्सल गाड़ी कच्चे रास्ते से काकोड़ा की ओर भाग गई थी। ईलाज के दौरान उसके पिता बजरंगलाल की भी उसी दिन मृत्यु हो गई और उनकी लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसे घटना होते हुए नहीं देखी उसे केवल सूचना मिली थी। नक्श मौका प्रदर्श पी 2 पर उसके अस्पताल में हस्ताक्षर करवाए थे।

13. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्लयू. 07 कृष्ण कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.05.2015 को वह अपने उंट गाडी से सूरजगढ से बुहाना रोड पर काकोडा की तरफ जा रहा था। सुबह 10 बजे की बात है। लोटिया मोड से 100 मीटर आगे की तरफ एक मार्शल गाडी तेज गति व लापरवाही से आई, जिसके नंबर आरजे 21 गुए 0959 थे उसने एक मोटरसाईकिल जिस पर आदमी बैठे हुए थे को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दौराने जिरह कथन किया है कि 10 बजे की बात है उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। गाडी का रंग खाकी था। उसने ड्राइवर को नहीं देखा था।

14. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू.08 चयनसुख** ने सशपथ कथन किया है कि यह दिनांक 13.05.2015 को पुलिस लाईन झुंझुनू में एमटीओ के पद पर था। उस रोज जरिये टेलीफोन सूचना पर एसएचको सूरजगढ़ के जब्तशुदा जीप मार्शल गाडी का मैकेनिकल मुआयाना किया था जीप को चलाकर देखा तो कन्ट्रोलिंग सिस्टम व इलेक्टरिक सिस्टम सही काम कर रहे थे। जीप के चालक साईड के सैफटी गार्ड आगे व पीछे से टूटे हुए थे। और पीछे की नम्बर प्लेट टूटी हुई थी। जीप के आगे और पीछे आरसी के मुताबिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। गाडी के चैचिस नंबर 22 एफ 8260, इंजन नंबर की 24 एक 7 1867 थे।मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी रिपोर्ट उसकी कलमी है और सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया है कि वाहन पर खून के निशान मौजूद नहीं थे। ना ही उसने मैकेनिकल मुआयना किया था।

15. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू.09 ओमकिशन** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.05.2015 को जिस जगह उसके भतीजे सचिन कुमार का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह का नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 मौके उसके

हस्ताक्षर है। आपको क्या कहना है? पर उसके सामने बनाया था। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सचिन की मोटरसाईकिल आरजे 18 एसपी 4139 का फर्द निरीक्षण कर सुपुर्दगी लीलाधर को दी जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया कि प्रदर्श पी 6 पर खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर है। जब मोटरसाइकिल सुपुर्दगी पर दी तब थाने पर हस्ताक्षर करवाए थे।

16. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू.10 नेतराम** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 07.05.2015 को थाना सूरजगढ़ में एएसआई के पद पर था तथा थाना इंचार्ज के पद पर भी था। उस दिन परिवादी लीलाधर ने उसके समक्ष एक हस्तलिखित रिर्पोट प्रदर्श पी 11 प्रस्तुत की थी। जिस पर ओमप्रकाश एएसआई ने क से ख कार्यवाही पुलिस अंकित कर उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। जिस पर उसने एफआईआर नंबर 108/2015 अन्तर्गत धारा 297, 304 ए आईपीसी में अभियोग दर्ज कर प्रकरण की तफतीश ओमप्रकाश एएसआई को सुपुर्द की थी। प्रदर्श पी 10 की पुश्त पर ए से बी कार्यवाही नोट उसके द्वारा अंकित किया गया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिसके अक्षर पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया कि उसने प्रकरण का अनुसंधान नहीं किया।

17. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू. 11** विनोद ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.05.2015 को सुबह 10 बजे उसके चचेरे भाई सुरेश ने आकर मुझे बताया कि उसके लड़के सचिन की मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया। जिस पर वे दोनों और अन्य आदमी सूरजगढ सरकारी अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि सचिन अपनी मोटरसाईकिल में अपने पीछे बजरंगलाल को बैठाकर लोटिया मोड के पास पंहुचा तो सफेद रंग की मार्शल गाडी नं. आर जे 21 सीए 0959 के चालक ने तेज गति व

लापरवाही से गाडी चलाकर सामने से सचिन की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर कच्चे रास्ते की तरफ गाडी को लेकर भाग गया। गाडी चालक की गलती के कारण यह एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें सचिन की मौके पर ही मौत हो गई थी और बजरंगलाल की बाद में मौत हो गई। मोटरसाईकिल पूरी तरह से टूट गई थी। सचिन की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह कथन किया कि उसने कुछ नहीं देखा। उसे कोई जानकारी नहीं।

18. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.डब्ल्यू.12 गोपीराम बाजिया** ने सूरजगढ में एसएचओ के पद पर था। उस दिन अभियोग संख्या 108/15 की पत्रावली बाद अनुसंधान ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 18.05.2015 को पीएस अधिकारी ओमप्रकाश सउनि ने आरोपी ईश्वर सिंह के विरुद्ध धारा 279,304 ए आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर उसे सुपुर्द की थी। उसने उक्त धाराओं में आपके के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया ना ही परिवादी द्वारा उसके समक्ष परिवाद को पेश किया गया और ना ही एफआईआर चॉक की गई।

19. हस्तगत प्रकरण में उक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण किया गया। उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या वक्त दुर्घटना अभियुक्त् वाहन नंबर आरजे 21 यूए 0959 का चालक था। उसके द्वारा ही घटना कारित की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का यदि सुक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण किया जाए तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह संख्या पीडब्ल्यू 1 डॉ ओमप्रकाश है जो कि प्रकरण में मृतक सचिन पुत्र सुरेश कुमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गवा है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर अपने अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व अपने चोटों के विवरण के संबंध में भी राय पर हस्ताक्षर

होने स्वीकार किए व उक्त दस्तोवजों की ताईद की। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 2 सतवीर है जो कि फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 2 का गवाह है जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किए कि वह वर्ष 2015 को सुबह 10 बजे सूरजगढ़ जा रहा था तब गवाह के चाचा बजरंगलाल ने एक मोटरसाइकिल को रूकवाया व उस मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गए। उक्त मोटरसाइकिल का चालक सचिन था जब गाडी लोटिया मोड पर पहुंची तो एक मार्शल गाडी नंबर 0959 ने तेज गति व लापरवाही से आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गवाह ने स्पष्ट रूप से मुख्य परीक्षा में कथन किए कि मार्शल गाडी का चालक ईश्वर सिंह था जिसकी गलती से दुर्घटना हुई। गवाह ने बजरंगलाल की लाश पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए। उक्त गवाह की जिरह को देखा जाए तो गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किए कि वह एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर पहुंचा था उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा साथ ही गाडी कौन चला रहा था उसे पता नहीं। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 3 डॉ परमेश्वरलाल सैनी ने मृतक बजरंगलाल के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गवाह है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए व उक्त दस्तावेजों की ताईद की है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 4 सुरेश ने भी अपने बयानों में यह कथन किए कि उसका बेटा सचिन मोटरसाइकिल से ढाकामंडी से कासनी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बजरंगलाल को बैठाया व लोटिया मोड के पास पहुंचा तो एक मार्शल गाडी 21 यूए 0959 जो कि सफेद रंग की थी तेज गति से आई और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। गवाह ने सचिन की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 व रसीद लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। गवाह ने जिरह में यह कथन किए कि एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है साथ ही यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि एक्सीडेंट होते हुए उसने नहीं देखा साथ ही उसने ड्राइवर को भी नहीं देखा कि जब घटना हुई तब वह

मौके पर मोजूद नहीं था। गवाह पीडब्ल्यू 5 हीरासिंह है जो कि प्रकरण में घटना का चश्मदीद गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किए कि दिनांक 07–05–2015 को सुबह 10 बजे वह लोटिया रोड पर भोलाराम के खेत में जा रह था तब एक मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 तेज गति व लापरवाही से चलते हुए आई और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे थे जिनमें से एक व्यक्ति का नाम बजरंगलला था। मोटरसाइकिल को सचिन चला रहा था जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। गवाह ने कथन किए कि मार्शल गाडी को ईश्वर सिंह चला रहा था। गवाह ने बजरंगलाल की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 2 व नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए व उक्त दस्तावेजों की ताईद की लेकिन जिरह में गवाह ने यह कथन किए कि मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 को तेज गति से चलाते हुए आने के करण ही एक्सीडेंट हुआ साथ ही यह भी कहा कि उसने ड्राइवर को नहीं देखा था। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 6 राजेंद्र प्रसाद है जिसने भी यह कथन किए कि लोटिया रोड के पास एक मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 तेज गति व लापरवाही से आ रही थी जिसने मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 एसपी 4139 को टक्कर माररी जिसमें सचिन की मौके पर ही मौत हो गर्ठ व इलाज के दौराने बजरंगलाल की भी मौत हो गई। गवाह ने लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 2 व रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 7 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए लेकिन गवाह ने जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा व घटना के समय वहां मौजूद नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ। गवाह को सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 7 कृष्ण कुमार है जो कि प्रकरण में घटना का अन्य चश्मीदद गवाह है जिसने बताया कि वह दिनांक 07–05–2015 को ऊंट गाडी से सूरजगढ़ से बुहाना रोड पर जा रहा था तो करीब 10 बजे

एक मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 तेज गति व लापरवाही से आई और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर दो व्यक्ति थे। सचिन मोटरसाइकिल चला रहा था जो कि मौके पर ही खत्म हो गया व बजरंगलाल की मृत्यु दौराने ईलाज हो गई। उक्त गवाह ने भी जिरह में यह स्वीकार किया कि उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था साथ ही उसने ड्राइवर को भी देखा था। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 8 चैनसुख है जो कि प्रकरण में जब्तशुदा चोट मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 के मैकेनिकल मुआयने के गवाह है जिसने प्रदर्श पी 10 मैकेनिकल मुआयना पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उक्त दस्तावेज की ताईद की। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 9 ओमकिशन जो कि नक्शे मौके का गवाह है जिसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 व फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल आरजे 18 एसपी 4139 प्रदर्श पी 8 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए है। उसकी ताईद की है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 10 नेतराम है जो कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 व चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 12 का गवाह है जिसने कथन किए कि लीलाधर द्वारा प्रदर्श रिपोर्ट पी 11 पेश पेश की गई जिस पर एफआईआर 108/2015 अंतर्गत धारा 279, 304 ए आईपीसी दर्ज की गई व तफतीश ओमप्रकाश एएसआई को सुपुर्द की गई। गवाह ने एफआईआर प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 11 विनोद है जो कि लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 के गवाह है जिसने उक्त दस्तोज पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए व कथन किए कि उसे उसके चचेरे भाई सुरेश ने बताया कि सचिन की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल पर बजरंगलाल भी बैठा था। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट मार्शल गाडी के चालक की तेज गति व लापरवाही से चलाने से हुई। जिरह में गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किए कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा व ना ही ड्राइवर को जानता है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 12 गोपीराम बाजिया है

जिसने कथन किए कि एफआईआर 108/2015 में अनुसंधान होने पश्चात' उसके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

20. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए गवाहों की संख्या एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि घटना घटित हुई है, परंतु ऐसा कोई भी दृढ़ एवं प्रबल साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वरवक्त दुर्घटना वाहन संख्या मार्शल गाडी आरजे 21 यूए 0959 से हुई व उक्त वाहन को अभियुक्त ईश्वर सिंह चला रहा हो। प्रकरण में जिन गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया उसमें गवाह संख्या पीडब्ल्यू 5 हीरासिंह व पीडब्ल्यू 7 कृष्ण कुमार को घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में पेश किया गया। जिसमें पीब्ल्यू 8 हीरासिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए कि मार्शल गाडी को ईश्वर सिंह चला रहा था लेकिन जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन किए व स्वीकार किया है कि उसने ड्राइवर को देखा नहीं था। गवाह के मुख्य परीक्षा में किए गए कथन व जिरह में किए गए कथन असंगत प्रतीत होते है। जो कि संदेह उत्पन्न करते हैं। कृष्ण कुमार द्वारा यह बताया गया कि उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा व ड्राइवर को भी देखा है, लेकिन उक्त गवाह ने चालक की पहचान के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए ना ही किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य की उक्त गवाह द्वारा ताईद की गई हो। इसके अतिरिक्त गवाह संख्या पीडब्ल्यू 2 सतवीर, पीडब्ल्यू 5 सुरेश, पीडब्ल्यू 6 राजेंद्र प्रसाद व पीडब्ल्यू 11 विनोद सभी गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया कि मार्शल गाडी संख्या आरजे 21 यूए 0959 ने तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल नंबर आरजे18 एसपी 4139 को टक्कर मारी, लेकिन सभी गवाहों ने जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किए कि उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा व घटना हुई थी तब वे मौके पर मौजूद नहीं थे। उक्त गवाहों के अतिरिक्त प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह लीलाधर पुत्र गोविंद जो कि प्रकरण में परिवादी है जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण

उक्त गवाह के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं किए जा सके। साथ ही प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को बार–बार तलब किए जाने पर उपस्थित नहीं आने पर अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं किए जा सके व गवाह की तलबी बंद की गई। केवल मात्र गवाह कृष्ण कुमार के बयानों के आधार पर अभियुक्त ईश्वर सिंह को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त ईश्वर सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्त ईश्वर सिंह को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

21. अतः अभियुक्त **ईश्वर सिंह पुत्र मंगतुराम उम्र 40 साल रधुवीरपुरा जोदा का बास थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किये जाते है। धारा 437 ए द.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु अभियुक्त 10,000/–रूपये का मुलचका व इसी राशि की जमानत पेश करे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में न्यायालय द्वारा उनके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है। अतः अभियुक्त का पेश जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्टेट, सूरजगढ

22. निर्णय आज दिनांक 20.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ